रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 516] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2018/श्रावण 8, 1940
No. 516] NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2018/SHRAVANA 8, 1940

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 713(अ).—केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम 1973 (1973 का 59) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 में संशोधन करने के लिए और नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें।

2. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 में,-

(क) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"7. निर्वाचन के विभिन्न चरणों की तारीखों का नियतन किया जाना - रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और उसके राजपत्र में ऐसी अन्य रीति से अधिसूचित करेगा जिसे वह ठीक समझेगा-

(क) नामनिर्देशन पत्रों का प्राप्त होना तथा उनकी संवीक्षा।
(ख) निर्वाचन का ढंग और मतदान केंद्र का स्थान।
(ग) मतदान और
(घ) मतों का संवीक्षा और गणना।"

(ख) नियम 13,14,15,16 और 17 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे किए जाएंगे, अर्थात्:-

"13. मतदान- (1) जहां सम्यकतः नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या संबद्ध राज्य के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर हो अथवा उससे कम हो, वहां रिटर्निंग आफिसर तुरंत ऐसे अभ्यर्थियों को सम्यकतः निर्वाचित घोषित कर देगा।

(2) जहां ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से कम हो, वहां रिटर्निंग आफिसर अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्वाचित किए जाने वाले शेष सदस्यों के निर्वाचन के लिए पुनः कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(3) जहां ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या संबद्ध राज्य के यथास्थिति होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो, वहां रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उनके नाम और पते राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

(4) यदि निर्वाचन आवश्यक समझा जाए तो रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन संचालन करेगा जहां निर्वाचन का रूप प्रोफार्मा-II में बैलट द्वारा व्यक्तिगत मतदान अथवा इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) है।

(5) रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन और स्थान की तारीख और समय के बारे में राज्य के प्रमुख भाग में प्रसारित होने वाले अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचार पत्र के एक अंक में और क्षेत्रीय भाषा में ऐसे दैनिक समाचार पत्र के एक अंक में विज्ञापन प्रकाशित करवाएगा जिसे रिटर्निंग आफिसर उपयुक्त समझेगा।

(6) व्यक्तिगत मतदान का अर्थ है, मताधिकार के योग्य सभी पात्र व्यक्ति रजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और मतदान से पूर्व अपनी पहचान साबित करने के लिए केंद्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र सहित होम्योपैथी के संबंधित राज्य बोर्ड/परिषद् में रिटर्निंग आफिसर द्वारा यथा अधिसूचित तारीख और समय पर मतदान केंद्र पर आएंगे।

(7) प्रत्येक निर्वाचक को उतने मत प्राप्त होंगे जितनी संख्या में, संबद्ध राज्य से सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं, किंतु वह किसी एक अभ्यर्थी को केवल एक ही मत देगा।

14. मतदान – (1) प्रत्येक निर्वाचक जो अपना मत अभिलेखाबद्ध करने का इच्छुक है, मतदान के लिए नियत तारीख व समय पर अपना मतदान करने के लिए निकटतम मतदान केंद्र पहुंचेगा।

(2) होम्योपैथी के संबंधित राज्य बोर्ड/ परिषद् में रजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति और केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा जारी कोई फोटो पहचान पत्र की प्रति दिखाने पर ही पात्र सदस्यों को मत पत्र जारी किया जाएगा।

(3) कोई सदस्य जो अपनी सदस्यता/रजस्ट्रीकरण संख्या अथवा ऐसी कोई अतिरिक्त ब्यौरे नहीं दे पाता है जो उसके मताधिकार को प्रमाणित करती है, को मतदान नहीं करने दिया जाएगा।

(4) अनुदेशों की पूरी प्रक्रिया केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् की वेबसाइट में **"निर्वाचन प्रक्रिया"** कालम में भी उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य अनुदेश देखने के पश्चात प्रक्रिया अनुसार अपना मतदान कर सकते हैं।

(5) कोई सदस्य मतदान में शामिल परिषद् अथवा अधिकरण में दुरुपयोग को किसी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

15. जो कोई मतदाता मतदान का इच्छुक है, अपना मतदान करने से पूर्व मतदाता सूची में स्याही से हस्ताक्षर करेगा।

16. मतों की गणना के समय पर कोई भी अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो सकेगा अथवा लिखित रूप से अपने द्वारा सम्यक प्राधिकृत एक प्रतिनिधि को वहां हाजिर होने के लिए भेज सकेगा।

17. मतदान करने से सदस्यों को नामंजूर करना- किसी व्यक्ति को मतदान नहीं करने दिया जा सकेगा, यदि-

(क) व्यक्ति अपनी पहचान साबित न कर सके**;** अथवा

(ख) व्यक्ति राज्य बोर्ड/ परिषद् द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर में रजस्ट्रीकरण का उसका विधिमान्य साक्ष्य नहीं दिखने के लिए असफल रहता है**;** अथवा

(ग) व्यक्ति रिटर्निंग आफिसर द्वारा विनिर्दिष्ट समय के बाद मतदान केंद्र पहुंचे**;** अथवा

(घ) व्यक्ति मतदान परिसर में दुर्व्यवहार अथवा बहस करे**;** अथवा

(ड़) व्यक्ति मतदान अधिकारियों को उनके कर्त्तव्यों का अनुपालन करने में बाधाएं पैदा करने की कोशिश करे।**";**

(ग) नियम 18 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा अर्थातः-

"(2) सभी मत पत्र एक साथ मिलाए जाएंगें और उनकी जांच होगी तथा विधिमान्य मतों की गणना की जाएगी"।

[फा. सं.ए. 11019/70/2017-ईसी/सीसीआईएम/सीसीएच निर्वाचन]

पी.एन. रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :-मूल नियम सा.का.नि. 611 तारीख 5 मई, 1975 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या को द्वारा संशोधित किए गए।

(i) का.आ. 725 तारीख 11 मार्च, 1978;

(ii) सा.का.नि. 576 (अ), तारीख 29 सितम्बर, 1982;

(iii) सा.का.नि. 279 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2012; और

(iv) सा.का.नि.373 (अ), तारीख 18 मई, 2012।

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

NOTIFICATION

New Delhi, the, 27th July, 2018

G.S.R. 713(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 4 and sub-section (1) of section 32 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Homoeopathy Central Council (Election) Rules, 1975, namely:-

1. (1) These rules may be called the Homoeopathy Central Council (Election) Amendment Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2.In the Homoeopathy Central Council (Election) Rules, 1975,-

(a) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

"7. Fixation of dates of various stages of elections.- The Returning Officer shall appoint and notify in the Official Gazette and in such other manner as he thinks fit, the time, date and place for-

(a) the receipt of the nomination papers and their scrutiny;
(b) the mode of election and the venue of polling booth;
(c) the poll; and
(d) the scrutiny and counting of votes.";

(b)for rules 13, 14, 15, 16 and 17the following rules shall be substituted, namely:-

"13. Poll.— (1) Where the number of candidates duly nominated is equal to or less than the number of members to be elected from the State concerned, the Returning Officer shall forthwith declare such candidates to be duly elected.

(2) Where the number of such candidates is less than the number of members to be so elected the Returning Officer shall commence fresh proceedings for the election of the remaining members to be elected under clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Act.

(3) Where the number of such candidates exceeds the number of members to be elected to represent the Homoeopathy System of Medicine as the case may be, from the State concerned, the Returning Officer shall publish their names and addresses in the Official Gazette for the purpose of the election.

(4) If a poll is found necessary, the Returning Officer shall conduct the election where mode of election is casting of votes in person by ballot in Form-II or Electronic Voting Machine (EVM).

(5)The Returning Officer shall publish an advertisement in one issue of the daily newspaper in the English language having circulation in the major part of the State and one issue of such daily newspaper in the regional language as the Returning Officer may consider suitable, about the date and time of the election and venue of the polling booth.

(6)Casting of vote in person means, all persons eligible to exercise vote shall physically come to the polling booth on the date and time as notified by the Returning Officer along with the certificate of registration in the concerned State Board/ Council of Homoeopathy and any photo identity card issued by the Central/ State / Union Territory Government to prove his identity before casting vote.

(7) Each elector shall have as many votes as there are members to be elected from that State, but shall give only one vote to any one candidate.

14.Casting of vote. -(1) Every elector desirous of recording his vote shall, reach the nearest polling booth to cast his vote on the date and time fixed for the poll.

(2) The ballot shall be issued only to the eligible members on producing the copy of certificate of registration in the concerned State Board/ Council of Homoeopathy and any photo identity card issued by the Central/ State / Union Territory Government.

(3) A member who is unable to provide his / her Membership / Registration number or any such additional details which bonafide his / her right of exercising the vote shall not be allowed to exercise his vote.

(4) The entire process of instructions will also be made available on the Central Council of Homoeopathy website under the Column "ELECTION PROCESS". The member may look into the instructionsand thereafter may cast their vote as per procedure.

(5) A member shall not hold the Council or agency involved in the voting by responsible for any misuse thereof.

15. Any voter who desire to vote shall sign in ink in the voter list, before casting his/her vote physically.

16.Any candidate may be present in person or may send a representative duly authorised by him in writing to attend at the time of counting of votes.

17. Rejection of members from casting vote.—A person may not be allowed to exercise his vote, if —

(a) the person could not prove his identity; or
(b) the person fails to show his valid proof of registration in the Register maintained by State Board/ Council; or
(c) the person reaches the polling booth after the time specified by the Returning Officer; or
(d) the person misbehaves or argue in the premises of polling; or
(e) the person is trying to cause obstacles in performing duties ofthe polling officers.";

(c) in rule 18, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) All the ballot papers shall be mixed together and shall be scrutinised, and, valid votes counted.".

[F. No. A.11019/70/2017-EC/CCIM/CCH Elections]

P.N.RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R 611 dated the 5th May 1975 and subsequently amended *vide* numbers, namely:-

(i) S.O.725 dated 11th March, 1978;
(ii) G.S.R. 576(E) dated 29th September, 1982;
(iii) G.S.R. 279(E) dated 2nd April, 2012; and
(iv) G.S.R. 373(E) dated 18th May, 2012

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 27 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 714(अ).—केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 4 और धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 में संशोधन करने के लिए और नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें।

2. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 में,-

(क) नियम 7 स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"7. निर्वाचन के विभिन्न चरणों की तारीखों का नियतन किया जाना - रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और उसके राजपत्र द्वारा और ऐसी अन्य रीति से अधिसूचित करेगा जिसे वह ठीक समझेगा-

(क) नामनिर्देशन पत्रों का प्राप्त होना तथा उनकी संवीक्षा।

(ख) निर्वाचन का ढंग और मतदान केंद्र का स्थान।

(ग) मतदान और

(घ) मतों का संवीक्षा और गणना।"

(ख) नियम 13,14,15,16 और 17 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"13. मतदान- (1) जहां सम्यकतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या संबद्ध राज्य के, यथास्थिति, आयुर्वेद, सिद्ध अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर हो अथवा उससे कम हो, वहां रिटर्निंग आफिसर तुरंत ऐसे अभ्यर्थियों को सम्यकतः निर्वाचित घोषित कर देगा।

(2) जहां ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से कम हो, वहां रिटर्निंग आफिसर धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्वाचित किए जाने वाले शेष सदस्यों के निर्वाचन के लिए पुनः कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(3) जहां ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या संबद्ध राज्य के यथास्थिति आयुर्वेद सिद्ध अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो, वहां रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उनके नाम और पते राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

(4) यदि निर्वाचन आवश्यक समझा जाए तो रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन संचालन करेगा जहां निर्वाचन का रूप प्रोफार्मा-2 में बैलट द्वारा व्यक्तिगत मतदान अथवा इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) है।

(5) रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन और मतदान बूथ के स्थान की तारीख और समय के बारे में राज्य के प्रमुख भाग में प्रसारित होने वाले अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचार पत्र के एक अंक में और क्षेत्रीय भाषा में ऐसे दैनिक समाचार पत्र के एक अंक में विज्ञापन प्रकाशित करवाएगा जिसे रिटर्निंग आफिसर उपयुक्त समझेगा।

(6) व्यक्तिगत मतदान से अभिप्रेत है कि मताधिकार के योग्य सभी पात्र व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और मतदान से पूर्व अपनी पहचान साबित करने के लिए केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति के संबंधित राज्य बोर्ड/परिषद् में रिटर्निंग आफिसर द्वारा यथा अधिसूचित तारीख और समय पर मतदान बूथ पर आएंगे।

(7) प्रत्येक मतदाता को उतने मत प्राप्त होंगे जितनी संख्या में, संबद्ध राज्य से सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं, किंतु वह किसी एक अभ्यर्थी को केवल एक ही मत देगा।

14. मतदान – (1) प्रत्येक मतदाता जो अपना मत अभिलेखाबद्ध करने का इच्छुक है, मतदान के लिए नियत तारीख व समय पर अपना मतदान करने के लिए निकटतम मतदान बूथ पहुंचेगा।

(2) होम्योपैथी के संबंधित राज्य बोर्ड/ परिषद् में रजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति और केंद्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा जारी कोई फोटो पहचान पत्र की प्रति दिखाने पर ही पात्र सदस्यों को मत पत्र जारी किया जाएगा।

(3) कोई सदस्य जो अपनी सदस्यता/रजस्ट्रीकरण संख्या अथवा ऐसी कोई अतिरिक्त सूचना नहीं दे पाता है जो उसके मताधिकार को प्रमाणित करती है, को मतदान नहीं करने दिया जाएगा।

(4) अनुदेशों की पूरी प्रक्रिया भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् की वेबसाइट में "निर्वाचन प्रक्रिया" स्तंभ में भी उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य अनुदेश देखने के पश्चात प्रक्रिया अनुसार अपना मतपत्र कर सकते हैं।

(5) कोई सदस्य मतदान में शामिल परिषद् अथवा अधिकरण में दुरुपयोग को किसी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

15. कोई मतदाता मतदान का इच्छुक अपना मतदान करने से पूर्व मतदाता सूची में स्याही से हस्ताक्षर करेगा।

16. मतों की गणना के समय पर कोई भी अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो सकेगा अथवा लिखित रूप से अपने द्वारा सम्यक प्राधिकृत एक प्रतिनिधि को वहां हाजिर होने के लिए भेज सकेगा।

17. मतदान करने से सदस्यों को नामंजूर करना- किसी व्यक्ति को मतदान नहीं करने दिया जा सकेगा, यदि-

(क) व्यक्ति अपनी पहचान साबित न कर सके; अथवा

(ख) व्यक्ति राज्य बोर्ड/ परिषद् द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर में रजस्ट्रीकरण का उसका विधिमान्य साक्ष्य नहीं दिखने में असफल रहता है; अथवा

(ग) व्यक्ति रिटर्निंग आफिसर द्वारा विनिर्दिष्ट समय के बाद मतदान बूथ पहुंचे; अथवा

(घ) व्यक्ति मतदान परिसर में दुर्व्यवहार अथवा बहस करे; अथवा

(ङ) व्यक्ति मतदान अधिकारियों को उनके कर्त्तव्यों का अनुपालन करने में बाधाएं पैदा करने की कोशिश करे।";

(ग) नियम 18 में, उपनियम (2) स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा अर्थातः-

"(2) सभी मत पत्र एक साथ मिलाए जाएंगें और उनकी जांच होगी तथा विधिमान्य मतों की गणना की जाएगी"।

[फा. सं. ए. 11019/70/2017-ईसी/सीसीआईएम/सीसीएच निर्वाचन]

पी.एन. रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. 2350 तारीख 14 अगस्त, 1975 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या को द्वारा संशोधित किए गए।

(i) का.आ. 532 (अ), तारीख 15 सितम्बर, 1979;

(ii) का.आ. 495 (अ), तारीख 4 जुलाई, 1980;

(iii) सा.का.नि. 151 (अ), तारीख 15 मार्च, 2012; और

(iv) सा.का.नि. 372 (अ), तारीख 18 मई, 2012।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2018

G.S.R. 714(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 and section 35 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975, namely :-

1. (1) These rules may be called the Indian Medicine Central Council (Election) Amendment Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975,-

(a) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

"7. Fixation of dates of various stages of elections.— The Returning Officer shall appoint and shall notify in the Official Gazette and in such other manner as he thinks fit, the time, date and place for—

(a) the receipt of the nomination papers and their scrutiny;

(b) the mode of election and the venue of polling booth;

(c) the poll; and

(d) the scrutiny and counting of votes.";

(b) for rules 13, 14, 15, 16 and 17, the following rules shall be substituted, namely:-

"13. Poll.—(1) Where the number of candidate duly nominated is equal to or less than the number of members to be elected to represent the Ayurveda, Siddha or Unani System of medicine, as the case may be, from the State concerned, the Returning Officer shall forthwith declare such candidates to be duly elected.

(2) Where the number of such candidates is less than the number of members to be so elected the Retuning Officer shall commence fresh proceedings for the election of the remaining members to be elected under clause(a) of sub-section (1) of section 3.

(3) Where the number of such candidates exceeds the number of members to be elected to represent the Ayurveda, Siddha or Unani Systems of Medicines as the case may be, from the State concerned, the Returning Officer shall publish their names and addresses in the Official Gazette for the purpose of the election.

(4) If a poll is found necessary, the Returning Officer shall conduct the election, where mode of election is casting of votes in person by ballot in Form-II or Electronic Voting Machine (EVM).

(5) The Returning Officer shall publish an advertisement, in one issue of the daily newspaper in the English language having circulation in the major part of the State and one issue of such daily newspaper in the regional language as the Returning Officer may consider suitable, about the date and time of the election and venue of the polling booth.

(6) Casting of vote in person means, all persons eligible to exercise vote shall physically come to the polling booth on the date and time as notified by the Returning Officer along with the certificate of registration in the concerned State Board/ Council of Indian System of medicine and any photo identity card issued by the Central/ State / Union Territory Government to prove his identity before casting vote.

(7) Each elector shall have as many votes as there are members to be elected from that State, but shall give only one vote to any one candidate.

14. Casting of vote. - (1) Every elector desirous of recording his vote shall, reach the nearest polling booth to cast his vote on the date and time fixed for the poll.

(2) The ballot shall be issued only to the eligible members on producing the copy of certificate of registration in the concerned State Board/ Council of Homoeopathy and any photo identity card issued by the Central/ State / Union Territory Government.

(3) A member who is unable to provide his / her Membership / Registration number or any such additional details which bonafide his / her right of exercising the vote shall not be allowed to exercise his vote.

(4) The entire process of instructions will also be made available on the Central Council of Indian Medicine website under the Column "ELECTION PROCESS". The member may look into the instructions and thereafter may cast their vote as per procedure.

(5) A member shall not hold the Council or agency involved in the voting by responsible for any misuse thereof.

15. Any voter who desire to vote shall sign in ink in the voter list, before casting his/her vote physically.

16. Any candidate may be present in person or may send a representative duly authorised by him in writing to attend at the time of counting of votes.

17. Rejection of members from casting vote.— A person may not be allowed to exercise his vote, if ,—

(a) the person could not prove his identity; or

(b) the person fails to show his valid proof of registration in the Register maintained by State Board/ Council; or

(c) the person reaches the polling booth after the time specified by the Returning Officer; or

(d) the person misbehaves or argue in the premises of polling; or

(e) the person is trying to cause obstacles in performing duties of the polling officers.";

(c) in rule 18, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:- "(2) All the ballot papers shall be mixed together and shall be scrutinised, and , valid votes counted.".

[F. No. A.11019/70/2017-EC/CCIM/CCH Elections]

P. N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R 2350, dated the 14th August, 1975 and subsequently amended *vide* G.S.R. numbers, namely:-

(i) S.O. 532 (E), dated 15th September,1979;

(ii) S.O. 495 (E), dated 4th July, 1980;

(iii) G.S.R. 151(E) dated 15th March, 2012; and

(iv) G.S.R. 372(E) dated 18th May, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.08.04 09:59:08 +05'30'